राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
137/11	23.06.2011	18.09.2018

अनुवान

1. रमेशचन्द पुत्र खुबराम जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर, अलवर

:–वादी

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र मक्खनलाल जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर–फौत
1/1 महीपाल पुत्र फूलसिंह
1/2 शांति पत्नी फूलसिंह जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर, अलवर
2. पवन कुमार दत्तक पुत्र मितरू जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर
3. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादीगण

दावा– अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति :
1. पृथ्वी सिंह यादव वकील–वादी
2. रणवीर सिंह यादव वकील–प्रतिवादी

–:: निर्णय::–

दिनांकः– 18.09.2018

आज यह वाद पत्र पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वादपत्र का सारतः रहा कि जमाबंदी सवंत 2063–66 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के खाता संख्या 255 में वर्णित हाल ख0न0 207/0.06 है0 में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। साबिक ख0न0 154 रकबा 5 बिस्वा से हाल ख0न0 207 पैमूद किये है। आराजी साबिक ख0न0

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) रा

Scanned by CamScanner

154 रकबा 5 बिस्वा जमाबंदी संवत 1998 के खाता संख्या 261 में वर्णित ख0न0 154 गंगासहाय पुत्र दाताराम अहीर साकिन देह के नाम दर्ज था एवं गंगासहाय ही कब्जेकाश्त खातेदार था, गंगासहाय पुत्र दाताराम ने 15.11.1965 को मिनवादी रमेशचंद पुत्र खूबराम को जर्ये रजिस्टर्ड हिबानामा दान कर दी थी। मिनवादी ने कब्जा ले लिया था, उसके बाद से मिनवादी उक्त भूमि ख0न0 207 का कब्जेकाश्त खातेदार हूं। मौके पर आज भी काश्त कर रहा हूं।

आराजी ख0न0 207 भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी, जबकि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, गैर वास्ता आराजी है। गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का हक हासिल नहीं है। मिनवादी के हक कानून द्वारा रक्षित है।

गांव की सीमा में से जो सड़क का सर्वे भिवाडी से नीमराना के लिए किया जा रहा था माह अप्रेल में जब उधर से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सर्वे कर रहे थे तो मिनवादी ने पटवारी हल्का से जांच करने की कोशिश की कि मेरी आराजी में से कितना हिस्सा लिया जा रहा है तब पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त ख0न0 207 रिकार्ड में आपके नाम न होकर, मक्खन वगैरा के नाम चल रहा है।

जमाबंदी संवत 2063–66 में मितरू पुत्र मक्खनलाल का नाम रिकार्ड में गलती से दर्ज है। मितरू फौत हो चुका है, जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 2 दत्तक पुत्र पवन कुमार है। इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है।

मिनवादी ने दिनांक 20.05.2011 को प्रतिवादीगण से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया कि हम रिकार्ड देख लेते है उसके बाद घर में सलाह करके बतायेगें। दिनांक 30.05.2011 को प्रतिवादीगण ने साफ–तौर से मना कर दिया। आप चाहे जो करो। बस यही बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अंदर अवधि पेश है।

जो राज्य सरकार द्वारा सडक सरकारी भिवाडी से नीमराणा के बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है यदि भूमि अधिग्रहण की जाती है तो मिनवादी का ख0न0 207 भी अधिग्रहण किया जा सकता है और राजस्व कर्मचारियों की गलती से मिनवादी का

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

ख0न0 207 जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया है जिसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं का निवेदन करते हुए वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि हाल ख0न0 207/0.06 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर का मिनवादी को कब्जेकाश्त खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावे। राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। यदि मिनवादी की भूमि ख0न0 207 वाके ग्राम दरबारपुर को अधिग्रहण किया जाता है तो मुआवजा मिनवादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद किया जावे कि वे गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाकर मुआवजा न लेवें, ना ही मिनवादी के काश्त कार्य में मजामहत पैदा करें, ना ही आराजी को कही रहन, बैय आदि प्रकार से मुंतकिल करें, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद तलबी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने हाजिर अदालत आकर जर्ये अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश किया। मुताबिक जवाब दावा सारतः रहा कि वादी के वादपत्र के जिमनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब में कथन किया कि आराजी मिनप्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। यदि संवत 1998 की जमाबंदी में गंगासहाय पुत्र दाताराम का नाम है तो कानूनन संवत 1998 के आधार पर वादी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ख0न0 154 पर प्रतिवादी संख्या-1 का पिता मक्खन ही अपनी आराजी पर स्वयं काश्त करता था। इस प्रकार मक्खनलाल ही आराजी का खातेदार काश्तकार कानूनन मौके अनुसार हो गया व जवाबदारान को उक्त आराजी विरासत से प्राप्त हुई है। वादी गैर कब्जा, गैर वास्ता शख्स है जिसे कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथाकथित हिबानामा दिनांक 15.11.1965 के दिन गंगासहाय का आराजी ख0न0 154 से किसी भी रूप से कोई लेना देना नही था तो हिबानामा में मिनजवाबदारान की खातेदारी की आराजी को हिबा करने का गंगासहाय को कोई कानूनी अधिकार नहीं था इसलिए वादी का वाद काबिल खारिज है।

साबिक ख0न0 154 सेटलमेंट होने के पहले भी जवाबदारान के पिता व दादा मक्खनलाल के नाम से थी। मुलाहिजा हेतु जमाबंदी 2020–23 संलग्न जवाबदावा है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वादी का आराजी ख0न0 207 से कोई लेना देना नहीं है। ना ही कभी वादी के पूर्वजों का कोई लेना–देना व संबंध सरोकार रहा है ना ही वादी गंगासहाय पुत्र दाताराम का कोई विधिक वारिस है। वादी को हमेशा से ही यह जानकारी थी। यदि राज्य सरकार द्वारा आराजी किसी भी काम के लिए अधिग्रहण की जाती है तो जवाबदारान ही मुआवजा लेने के अधिकारी है। कानूनन रिकार्डेड खातेदार को किसी भी रूप में पाबंद नहीं कराया जा सकता आदि का निवेदन करते हुए वादी दावा डिक्री कराने का अधिकारी नहीं है, दावा काबिल खारिज है के निवेदन के साथ–साथ **जायद** में निवेदन किया कि:–

1. वादी अदालत श्रीमान में शुद्धहस्त होकर नहीं आया, जब आराजी से वादी व वादी के पूर्वजों का कोई लेना–देना नहीं है, ना ही मौके पर वादी कभी काबिज रहा है इसलिए वादी का वाद चलने योग्य न होकर काबिल खारिज है।
2. तथाकथित ही हिबानामा दिनांक 15.11.1965 को गंगासहाय द्वारा वादी के पक्ष में किया गया है, वक्त हिबानामा आराजी हिबाकर्ता के नाम राजस्व रिकार्ड में नही थी तो हिबाकर्ता उक्त आराजी को हिबा करने का अधिकारी नहीं था। दावा काबिल खारिज है का निवेदन करते हुए वादी का वाद मय विशेष हर्जा खर्चा 10000/– रूपये लगाकर खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र सत्यनारायण पीडब्ल्यू–1, मोहनलाल पीडब्ल्यू–2, कृष्ण कुमार पीडब्ल्यू–3, रमेश चन्द पीडब्ल्यू–4 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2011–14 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 1998 प्रदर्श–3, नकल इंतकाल संख्या 150 प्रदर्श–4, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2011–14 प्रदर्श–5, हिबानामा/दानपत्र दिनांक 15.11.1965 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2071–74 किता 2 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संवत 2015–19 प्रदर्श–8, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2015–18 प्रदर्श–9 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र महीपाल डीडब्ल्यू–1 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप मुख्तयारनामा खास प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, मिसल हकीयत संवत 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2010 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2020–23

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

प्रदर्श–5 अपने जवाब दावे के समर्थन में पिता फूलसिंह की तरफ से पेश किये गये है जो शामिल पत्रावली है। वाद में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये:–

1. आया विवादित आराजी ख0न0 207 वाके ग्राम दरबारपुर का वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराकर प्रतिवादी का नाम हजफ किये जाना का वादी अधिकारी है। –जिम्मेवादी
2. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह विवादित आराजी का गलत इन्द्राज से नाजायज फायदा उठाकर मुआवजा ना उठावें तथा वादी के कब्जेकाश्त में मजामहत पैदा ना करें। –जिम्मेवादी
3. आया विवादित आराजी में वादी व वादी के बुजुर्गों का कोई लेना देना नही था। वादी का वाद काबिल खारिज है। –जिम्मे प्रतिवादी
4. आया वादी द्वारा कथित हिबानामा दिनांक 15.11.1965 में दर्शाया ख0न0 154 रकबा 5 बिस्वा वाके दरबारपुर हिबानामा कर्ता के नाम राजस्व रिकार्ड नही था, इसलिए वादी का वाद काबिल खारिज है। –जिम्मे प्रतिवादी
5. दादरसी।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वाद पत्र के जिमनों को दोहराते हुए मुताबिक नकल खसरा गिरदावरी संवत 2011–14 प्रदर्श–2 जिसके मुताबिक गंगासहाय पि0 दाताराम अहीर कॉलम संख्या 5 में अंकित होकर, कॉलम संख्या 6 में खुदकाश्त के अंकन अनुसार एवं मुताबिक नकल जमाबंदी संवत 1998 प्रदर्श–6, गंगासहाय पुत्र दाताराम साकिन देह-खुदकाश्त एवं नकल नामांतकरण संख्या 150 के अंकन अनुसार जमाबंदी संवत 2020–23 में अंकित गंगासहाय पि0 दाताराम शिकमी साल 7.5 के अंकन के आधार पर गंगासहाय पुत्र दाताराम द्वारा दिनांक 15.11.1965 को वादी रमेशचन्द के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड हिबानामा तहरीर कराकर उपपंजीयक मुण्डावर द्वारा बाद प्रमाणित दान कर दिये जाने की स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम को हाल रिकार्ड से हजफ किये जाने एवं हाल ख0न0 207 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादीगण के जवाब दावे के जिमनों को दोहराते हुए विवादित आराजी से वादी व

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी के पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं है अवगत कराते हुए तथाकथित हिबानामा दिनांक 15.11.1965 को गंगासहाय द्वारा वादी के पक्ष में किये गये आराजी ख0न0 154 हिबानामा के दिन हिबेकर्ता के नाम रिकार्ड में नहीं होने की स्थिति में वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

तनकी नम्बर 1– आया विवादित आराजी ख0न0 207 वाके ग्राम दरबारपुर का वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराकर प्रतिवादी का नाम हजफ किये जाना का वादी अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेवादी रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मुताबिक नकल खसरा गिरदावरी संवत 2011–14 प्रदर्श–2 जिसके मुताबिक गंगासहाय पि0 दाताराम अहीर कॉलम संख्या 5 में अंकित होकर, कॉलम संख्या 6 में खुदकाश्त के अंकन अनुसार एवं मुताबिक नकल जमाबंदी संवत 1998 प्रदर्श–6, गंगासहाय पुत्र दाताराम साकिन देह खुदकाश्त एवं नकल नामांतकरण संख्या 150 के अंकन अनुसार जमाबंदी संवत 2020–23 में अंकित गंगासहाय पि0 दाताराम शिकमी साल 7.5 के अंकन के आधार पर गंगासहाय पुत्र दाताराम द्वारा दिनांक 15.11.1965 को वादी रमेशचन्द के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड हिबानामा तहरीर कराकर उपपंजीयक मुण्डावर द्वारा बाद प्रमाणित दान कर दिये जाने की स्थिति में यह न्यायालय इस तनकी को बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहकवादी स्पष्ट रूप से साबित पाता है।

तनकी नम्बर 2– आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह विवादित आराजी का गलत इन्द्राज से नाजायज फायदा उठाकर मुआवजा ना उठावें तथा वादी के कब्जेकाश्त में मजामहत पैदा ना करें। इस तनकी को साबित करने का भार भी जिम्मेवादी रहा है। चूंकि तनकी नम्बर 1 बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहकवादी स्पष्ट रूप से साबित हो जाने की स्थिति में यह तनकी भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहकवादी स्पष्ट रूप से साबित पाई जाती है।

तनकी नम्बर 3– आया विवादित आराजी में वादी व वादी के बुजुर्गों का कोई लेना देना नही था। वादी का वाद काबिल खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेप्रतिवादी रहा है। चूंकि तनकी नम्बर 1 व 2 बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहकवादी स्पष्ट रूप से साबित हो जाने की स्थिति में यह तनकी भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहकवादी ही साबित पाई जाती है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

तनकी नम्बर 4– आया वादी द्वारा कथित हिबानामा दिनांक 15.11.1965 में दर्शाया ख0न0 154 रकबा 5 बिस्वा वाके दरबारपुर हिबानामा कर्ता के नाम राजस्व रिकार्ड नही था, इसलिए वादी का वाद काबिल खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेप्रतिवादी रहा है। चूंकि तनकी नम्बर 1, 2 व 3 बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहकवादी स्पष्ट रूप से साबित हो जाने की स्थिति में यह तनकी भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहकवादी ही साबित पाई जाती है।

दादरसी– उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0न0 207 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर के बाबत का वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी के अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में पूर्वजों के नाम हो रहे अंकन की आड में मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करें, ना ही गलत अंकन के आधार पर आराजी को रहन, बैय आदि प्रकार से मुंतकिल नहीं करें तथा वादी के कुल कार्य काश्तकारी में किसी भी प्रकार से मजामहत पैदा नहीं करें, पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
137/11	23.06.2011	18.09.2018

अनुवान

1. रमेशचन्द पुत्र खुबराम जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर, अलवर

:–वादी

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र मक्खनलाल जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर–फौत
1/1 महीपाल पुत्र फूलसिंह
1/2 शांति पत्नी फूलसिंह जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर, अलवर
2. पवन कुमार दत्तक पुत्र मितरू जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर
3. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादीगण

दावा– अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति :
3. पृथ्वी सिंह यादव वकील–वादी
4. रणवीर सिंह यादव वकील–प्रतिवादी

–::पर्चा डिक्री::–

दिनांकः– 18.09.2018

वादी की ओर से **श्री पृथ्वी सिंह यादव वकील** एवं प्रतिवादी की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव वकील** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18.09.2018 को **साधुराम**

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

जाट उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

आराजी ख0न0 207 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर के बाबत का वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी के अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में पूर्वजों के नाम हो रहे अंकन की आड में मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करें, ना ही गलत अंकन के आधार पर आराजी को रहन, बैय आदि प्रकार से मुंतकिल नहीं करें तथा वादी के कुल कार्य काश्तकारी में किसी भी प्रकार से मजामहत पैदा नहीं करें, पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 18.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

18/9/19

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner